

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: अ०सां०नि०/स्था०-12-09/2018 .....11..... पटना, दिनांक...24-10-18

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह भा०प्र०से०  
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।  
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, कैमूर, भागलपुर, भोजपुर,  
बक्सर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, अरवल,  
कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा,  
पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान,  
सुपौल, एवं वैशाली।

विषय:- केन्द्रीय योजनागत योजना "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना" शीर्ष के  
अन्तर्गत पंचम लघु सिंचाई गणना, संदर्भ वर्ष 2013-14 हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में  
स्वीकृत्यादेश संख्या-2067 दिनांक 09.10.2018 के आलोक में ₹14,57,800/- (चौदह लाख  
संतावन हजार आठ सौ) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, लघु सिंचाई (सांख्यिकी)  
प्रभाग के पत्र संख्या-V-57/5/2014.MI(Stat) दिनांक-25.02.2015 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना, पंचमी  
लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013-14 हेतु ₹ 5,02,50,915/- (पाँच करोड़ दो लाख पचास हजार नौ सौ  
पन्द्रह रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना के अन्तर्गत उक्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक-  
V-57/5/2014.MI(Stat)/1364 दिनांक-30.07.2018 द्वारा ₹90,92,403/- (नब्बे लाख बेरानवे हजार चार सौ  
तीन रुपये) वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. उक्त पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध/विमुक्त  
की गई राशि ₹90,92,403/- (नब्बे लाख बेरानवे हजार चार सौ तीन रुपये) संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय  
करने के लिए आवंटित की जाती है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु  
शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष- 0405-लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना  
शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050405 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः  
सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा संबंधित सभी  
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।


5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर संबंधित आवंटन आदेश  
की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करेंगे। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना  
होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के  
लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।


*Mani*  
10/10/18


*24/10/18* *N*


6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन CTMIS की सत्यापित प्रति के साथ प्रत्येक माह की 08वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.98, बिहार वित्त नियमावली एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-2067 दिनांक 09.10.2018 के आलोक में नियमानुसार पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013-14 से संबंधित राज्य/जिला/प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी का मानदेय तथा प्रकाशन एवं मुद्रण मद के बकाये राशि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा।

  
बजट सहायक

  
प्रशाखा पदा०


  
उप निदेश०(लेखा)

  
सं०निदेश०(प्र०)

विश्वासभाजन  
  
निदेशक 23/11


ज्ञापांक .....11...../पटना, दिनांक .....24-10-18.....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक 23/11


ज्ञापांक .....11...../पटना, दिनांक .....24-10-18.....

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना  
2. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक 23/11

ज्ञापांक .....11...../पटना, दिनांक.....24-10-18.....

- प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)  
2. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/सहायक निदेशक (लघु सिंचाई गणना) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना  
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश है कि आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।


  
निदेशक 23/11

आवंटन विवरणी


केन्द्र प्रायोजित योजना मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उपमुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उपशीर्ष-0405-लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु आवंटन विवरणी।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन (मानदेय हेतु)	16-01 प्रकाशन एवं मुद्रण	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	12000	100000	112000
	जिला सांख्यिकी कार्यालय			0
2	अररिया	24300	0	24300
3	औरंगाबाद	28700	0	28700
4	बांका	28700	0	28700
5	बेगूसराय	44100	0	44100
6	कैमूर	28700	0	28700
7	भागलपुर	39700	0	39700
8	भोजपुर	35300	0	35300
9	बक्सर	28700	0	28700
10	पूर्वी चम्पारण	63900	0	63900
11	प. चम्पारण	44100	0	44100
12	दरभंगा	44100	0	44100
13	गया	57300	0	57300
14	गोपालगंज	35300	0	35300
15	जमुई	26500	0	26500
16	जहानाबाद	19900	0	19900
17	अरवल	15500	0	15500
18	कटिहार	39700	0	39700
19	खगड़िया	19900	0	19900
20	किशनगंज	19900	0	19900
21	लखीसराय	19900	0	19900
22	मधेपुरा	33100	0	33100
23	मधुबनी	50700	0	50700
24	मुंगेर	24300	0	24300
25	मुजफ्फरपुर	39700	0	39700
26	नालंदा	48500	0	48500
27	नवादा	35300	0	35300
28	पटना	55100	0	55100
29	पूर्णिया	35300	0	35300
30	रोहतास	46300	0	46300
31	सहरसा	26500	0	26500
32	समस्तीपुर	48500	0	48500
33	सारण	48500	0	48500
34	शेखपुरा	17700	0	17700
35	शिवहर	15500	0	15500
36	सीतामढ़ी	41900	0	41900
37	सीवान	46300	0	46300
38	सुपौल	28700	0	28700
39	वैशाली	39700	0	39700
कुल		1357800	100000	1457800

  
बजट सहायक

  
प्र० पदा० उप निदेशक(ले०)

  
सं०निदेशक(प्र०)

  
निदेशक